



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239044  
CG-DL-E-23092022-239044

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]  
No. 643]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 724(अ).—परिषद राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का 19) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाती है, अर्थात्

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता तथा प्रबंधन संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु के प्रथम परिनियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं— (1) इन परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता तथा प्रबंधन अधिनियम, 2021 (2021 का 19) अभिप्रेत है।
- (ख) “प्राधिकारी” से नियम 5 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट संस्थान के प्राधिकारी अभिप्रेत हैं;
- (ग) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट शासक बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) “भवन और संकर्म समिति” से परिनियम 9 के अधीन गठित संस्थान की भवन और संकर्म समिति अभिप्रेत है;
- (ड.) “संकाय” से संस्थान के सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य सहित अध्यापन संकाय अभिप्रेत है।
- (च) “वित्त समिति” से परिनियम 6 के अधीन गठित संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उनका इस अधिनियम में क्रमशः है।

(3) **बोर्ड की बैठक:** (1) बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित बोर्ड के शासकों में से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) सामान्यतः बोर्ड की बैठक किसी कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी तथा बोर्ड की सामान्यतः या तो अध्यक्ष द्वारा स्वप्रेरणा से अथवा निवेदक के अनुरोध पर अथवा बोर्ड के कम से कम तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर की गई अध्यापेक्षा पर बुलाई जाएगी।

(3) बैठक की सूचना बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा, निदेशक के निदेश पर बैठक की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा डाक के माध्यम से भेजी जाएगी तथा सूचना में बैठक के स्थान, तारीख तथा समय का उल्लेख किया जाएगा।

परंतु अध्यक्ष अत्यावश्यक विषयों पर विचार करने हेतु अल्प सूचना पर बोर्ड की बैठक बुला सकता है।

(4) कार्यसूची में किसी मद को शामिल किए जाने हेतु सदस्यों से अनुरोध बैठक से कम से कम दस दिन पहले रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगा : परंतु अध्यक्ष कार्यसूची में ऐसी किसी मद को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है जिसके लिए उचित अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) बैठक की कार्यसूची सदस्यों को रजिस्ट्रार द्वारा बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व परिचालित की जाएगी।

(6) बैठक की गणपूर्ति का गठन बोर्ड के शासकों की वर्तमान संख्या का एक तिहाई और संस्थान से बाहर का कम से कम एक सदस्य से होगा। परंतु गणपूर्ति के अभाव में, पीठासीन अधिकारी द्वारा बैठक को आस्थगित किया जा सकता है तथा जब और जैसे बैठक की गणपूर्ति उपस्थित सदस्यों द्वारा गठित हो जाती है, इसके कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(7) बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर बैठक में ऑनलाइन भाग ले सकते हैं।

(8) यदि बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य अनुपस्थित रहने की अनुमति के बिना तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा;

(9) शासकों के बोर्ड के निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा किसी गतिरोध की स्थिति में, अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहा सदस्य निर्णायक मत का प्रयोग करेगा;

(10) प्रक्रिया संबंधी सभी मामलों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा;

(11) संकल्प सदस्यों में परिचालन द्वारा अंगीकृत किया जा सकेगा तथा इस प्रकार परिचालित किए गए और सदस्यों के बहुमत द्वारा अंगीकृत संकल्प उसी प्रकार प्रभावी तथा बाध्यकारी होगा मानो बोर्ड की बैठक में ऐसा संकल्प पारित किया गया हो।

(12) बोर्ड की बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और बोर्ड के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा :

(क) सुझाये गए संशोधन के साथ कार्यवृत्त को बोर्ड की अगली बैठक में पुष्टि हेतु रखा जाएगा।

(ख) कार्यवृत्त की पुष्टि हो जाने के पश्चात अध्यक्ष कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करेगा।

(13) बोर्ड के सभी निर्णयों का अधिप्रमाणन रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।

(14) बोर्ड तथा अन्य समितियों के सदस्यों के भत्ते भारत सरकार के सन्नियमों द्वारा शासित होंगे।

4. सिनेट-(1) सिनेट संस्थान का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा तथा इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा(1) के खंड (क) से (घ) तक में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त विभागों, विद्यालयों, केंद्रों के अध्यक्ष तथा पुस्तकालयाध्यक्ष सिनेट सदस्य होंगे।

(i) सामान्यतः सिनेट की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अथवा जैसे और जब आवश्यक हो, निदेशक की अनुमति से, अथवा सिनेट के एक तिहाई से अन्यून सदस्य द्वारा लिखित अध्यापेक्षा पर होगी।

- (ii) सिनेट के सदस्य सचिव द्वारा कम सदस्यों को बैठक की सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा डाक के माध्यम से बैठक की तारीख से कम से दो सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी और सूचना में बैठक के स्थान, तारीख तथा समय का उल्लेख होगा:
- (iii) कार्यसूची में किसी मद को शामिल किए जाने की सूचना बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगी: परंतु यह कि निदेशक ऐसी कार्यसूची में किसी ऐसी मद को शामिल किए जाने की अनुमति दे सकता है जिसके लिए उचित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
- (iv) बैठक की कार्यसूची सदस्यों को, सदस्य-सचिव द्वारा बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व परिचालित की जाएगी। पटल कार्यसूची को प्रस्तुत किए जाने के समय सदस्यों द्वारा उचित स्पष्टीकरण के साथ केवल आपवादिक परिस्थितियों में शामिल किया जाना चाहिए।
- (v) बैठक की गणपूर्ति का गठन सिनेट की वर्तमान संख्या के एक तिहाई से होगा।
- (vi) सदस्य निदेशक को पूर्व सूचना देकर बैठक में ऑनलाइन भाग ले सकते हैं।
- (vii) इस अधिनियम के अधीन शाक्तियों के अतिरिक्त सिनेट के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :
- (क) विद्यार्थियों तथा संकाय के बीच अनुशासन को बनाए रखना, प्रवेश फीस संरचना तथा अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं का नियतन।
- (ख) शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए मंजूरी, पाठ्यक्रम विरचना तथा विद्यार्थियों के आचरण की निगरानी।
- (ग) नई शैक्षणिक इकाइयों, विभाग, उत्कृष्टता केंद्र, अंतर विषयक शोध केंद्रों, अध्ययन केंद्रों अथवा शैक्षणिक सहायता केंद्रों की स्थापना;
- (घ) शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा शैक्षणिक इकाइयों के व्यापक मूल्यांकन हेतु मानक नियत करना तथा इसका मूल्यांकन बाह्य एवं आंतरिक विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाएगा।
- (ङ.) पांच वर्ष में कम से कम एक बार शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा इकाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा सिनेट द्वारा अतिरिक्त संसाधन के आबंटन के माध्यम से इसके विकास, उनके चालू रहने अथवा उन्हें बंद किए जाने के बारे में निर्णय लिया जाना।
- (च) शैक्षणिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना अथवा ऐसा करने हेतु समितियों अथवा अधिकारियों को नियुक्त करना तथा डिग्रियां, डिप्लोमा एवं अन्य विधा संबंधी उपाधियां अथवा प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने अथवा दिए जाने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।
- (छ) ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक मामलों पर, जो सिनेट द्वारा इन समितियों को विनिर्दिष्ट किए जाएं, सलाह देने के लिए सिनेट के सदस्यों, संस्थान के अन्य शिक्षकों तथा बाहर से विशेषज्ञों से मिलकर बनने वाली समितियों का गठन करना।
- (ज) अध्यादेशों तथा ऐसी अन्य शर्तों जो पुरस्कारों से संबद्ध हैं, के अनुसार वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक तथा पारितोषिक देना एवं अन्य पुरस्कार देना;
- (झ) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के संबंध में पदों के सृजन और उनका उत्पादन, ऐसे पदों से संबंधित उपलब्धियों तथा कर्तव्यों के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना;
- (ञ) शैक्षणिक डिग्रियों तथा सम्मानों के प्रदान किए जाने हेतु मानदंड नियत करना और प्रत्येक व्यष्टिक पुरस्कार का अनुमोदन करना।
- (ट) शैक्षणिक कार्यक्रमों को समाप्त किए जाने हेतु मानदंड नियत करना और उचित विचार-विमर्श के पश्चात ऐसे पर्यवसान का अनुमोदन प्रदान करना;
- (ठ) स्थायी और उप समितियां गठित करना, उनके सदस्यों को नियुक्त करना और सिनेट की शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।
- (ड) शैक्षणिक विषयों में त्वरित निर्णयन प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु निदेशक को शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करना : परंतु उपसमितियों तथा अध्यक्ष एवं कृत्यकारियों के सभी शैक्षणिक विनिश्चयों को सिनेट को इसकी पुष्टि हेतु रिपोर्ट किया जाएगा।

(ढ) विद्यार्थियों अथवा शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रतिभागियों के चयन संबंधी सभी शैक्षणिक विषयों एवं उनकी प्रगति संबंधी आवधिक जानकारी सिनेट को उसके अनुमोदन के लिए रिपोर्ट की जाएगी।

(ण) अध्ययन कार्यक्रम में परिवर्तनों का अनुमोदन;

(त) ऐसी नीतिगत एवं अवसंरचनात्मक पहलों जिनका संस्थान के शोध तथा शैक्षणिक प्रोफाइल पर प्रभाव होता है, नियमित आधार पर सिनेट को उसकी टीका टिप्पणियों एवं सलाह हेतु प्रस्तुत किया जाएगा जो अबाध्यकारी होगी, परंतु इसकी संसूचना बोर्ड को दी जाएगी;

(थ) ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करना जिन्हें बैठकों में भाग लेने के लिए उपयुक्त समझा जाए;

2. सिनेट द्वारा विचार किए गए प्रस्तावों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चय किया जाएगा तथा किसी गतिरोध की स्थिति में निदेशक निर्णायक मत देगा;

3. संकल्प को सदस्यों में परिचालित करके स्वीकार किया जा सकेगा तथा सदस्यों के बहुमत से इस प्रकार परिचालित किया गया तथा अंगीकृत किया गया कोई संकल्प इस प्रकार प्रभावी तथा बाध्यकारी होगा मानो यह ऐसा संकल्प सिनेट की बैठक में पारित हुआ हो;

(4) सभा की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा:

(i) संशोधनों के साथ कार्यवृत्त, यदि कोई सुझाए गए हों, सिनेट की अगली बैठक में उसकी पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) कार्यवृत्त की पुष्टि हो जाने के पश्चात कार्यवृत्त पर निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. संस्थान के प्राधिकारी - अधिनियम की धारा 10 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के अतिरिक्त, संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (i) वित्त समिति;
- (ii) भवन तथा निर्माण समिति; और
- (iii) खोज सह चयन समिति।

6. वित्त समिति का गठन - वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

क्रमांक	सदस्य	भूमिका
(1)	बोर्ड का अध्यक्ष	अध्यक्ष - पदेन
(2)	संस्थान का निदेशक	सदस्य- पदेन
(3)	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) या नामनिर्देशिति	सदस्य- पदेन
(4)	संयुक्त सचिव (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय-संस्थान प्रभाग) या नामनिर्देशिति	सदस्य- पदेन
(5)	बोर्ड द्वारा नामित बोर्ड के सदस्यों में से दो सदस्य	सदस्य- गैर-सरकारी
(6)	संस्थान का रजिस्ट्रार	संयोजक- पदेन

7. वित्त समिति का कार्यकरण - (1) वित्त समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में समिति में से चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) वित्त समिति की बैठक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(3) वित्त समिति की बैठकें सामान्यतया संयोजक द्वारा अध्यक्ष के निर्देशानुसार या तो उसके प्रस्ताव पर या निदेशक के अनुरोध पर या समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर बुलाई जाएंगी।

(4) बैठक की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले संयोजक द्वारा बैठक की सूचना भेजी जाएगी।

- (i) सूचना में बैठक का स्थान, तारीख और समय का उल्लेख होगा;
- (ii) सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से या डाक के माध्यम से भेजी जा सकेगी;

- (5) कार्यसूची में किसी भी मद को शामिल करने की सूचना सदस्यों से बैठक से कम से कम दस दिन पहले संयोजक के पास पहुंच जाएगी। अध्यक्ष किसी भी मद को कार्यसूची में शामिल करने की अनुमति दे सकेगा, जिसके लिए उचित अनुरोध नहीं दिया गया है।
- (6) बैठक की कार्यसूची संयोजक द्वारा बैठक से कम से कम सात दिन पहले सदस्यों को परिचालित की जाएगी।
- (7) प्रक्रिया से संबंधित मामलों में अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (8) समिति की बैठक का कार्यवाहियों का कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।
  - (i) संशोधन यदि कोई सुझाया गया है के साथ, कार्यवृत्त को समिति की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा।
  - (ii) कार्यवाही सारांश की पुष्टि होने के बाद, कार्यवाही सारांश पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (9) चार सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति का गठन करेंगे।
- (10) सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग ले सकेंगे।

#### 8. वित्त समिति की शक्तियां - (1) वित्त समिति निम्नलिखित करेगी;

- क. संस्थान की वित्तीय नीतियों का विकास करना और संस्थान के राजस्व और व्यय की निगरानी करना;
- ख. प्रचालन दक्षता में सुधार, अनुमानित राजस्व के साथ लागत को समसामयिक करने और मुख्य व्यय प्रस्तावों पर, जैसा कि बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो, सिफारिशें करना;
- ग. वार्षिक लेखाओं को अनुमोदित करना तथा वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किया गया संस्थान के बजट को बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले अनुमोदन के लिए वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा;
- घ. संसाधन जुटाने से संबंधित किसी भी वित्तीय मामले और मार्गदर्शन पर बोर्ड को या तो स्व-प्रेरणा से या बोर्ड या निदेशक की सलाह पर सिफारिशें करना;
- ङ. कोई अन्य कृत्य करना जो बोर्ड विनिश्चय करे।

- (2) वित्त समिति द्वारा किए गए विनिश्चय बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात प्रभावी होंगे।
- (3) वित्त समिति के अंतिम विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे।
- (4) वित्त समिति की भूमिका परामर्श समिति की अधिक प्रकृति वाली है।

#### 9. भवन और संकर्म समिति का गठन - भवन और संकर्म समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -

क्र.सं.	सदस्य	भूमिका
(1)	संस्थान का निदेशक	अध्यक्ष - पदेन
(2)	उप निदेशक अथवा संकायाध्यक्ष (योजना और विकास से संबंधित)	सदस्य- पदेन
(3)	निदेशक अथवा उप सचिव (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय-संस्थान प्रभाग)	सदस्य- पदेन
(4)	निदेशक अथवा उप सचिव अथवा परामर्शी (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - एकीकृत वित्त प्रभाग)	सदस्य- पदेन
(5)	बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थान से एक विशेषज्ञ	सदस्य- गैर-सरकारी
(6)	सरकार या राज्य सरकार या किसी स्वायत्त निकाय के सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी खंड, प्रत्येक से संस्थान के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ	सदस्य- गैर-सरकारी
(7)	संस्थान का रजिस्ट्रार	संयोजक - पदेन

- 10. भवन और संकर्म समिति का कार्यकरण -** (1) भवन एवं संकर्म समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य ।
- (2) वित्त समिति की बैठक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।
- (3) विद्यमान संख्या का एक तिहाई समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति का गठन करेगा, जिसमें किसी भी अंश को अगली उच्च संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा।
- (4) भवन एवं संकर्म समिति के सदस्य निदेशक को पूर्व सूचना देकर ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग ले सकेंगे ।
- (5) मुख्य पूंजीगत संकर्मों का संनिर्माण बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति से किया जाएगा।
- 11. भवन और संकर्म समिति की शक्तियां** (1) भवन और संकर्म समिति:
- (i) रखरखाव और मरम्मत से संबंधित लघु कार्यों और कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और मंजूर करने के लिए सशक्त होगी;
- (ii) नए संनिर्माण, लघु कार्यों और मरम्मत तथा रखरखाव के लिए प्राक्कलनों को तैयार करवाने और विधीक्षित करवाने के लिए जिम्मेदार होगी ;
- (iii) सभी कार्यों के लिए तकनीकी जांच कराने के लिए जिम्मेदार होगी; तथा
- (iv) उपयुक्त ठेकेदारों की भर्ती और निविदाओं की स्वीकृति के लिए जिम्मेदार होगी और उसे विभागीय कार्यों के लिए निर्देश देने की शक्ति होगी। परंतु सभी कार्य वित्त समिति और बोर्ड के निदेशाधीन किए जाएंगे।
- (2) भवन एवं संकर्म समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा ।
- (3) आपात की दशा में, भवन एवं संकर्म समिति के अध्यक्ष विनिश्चय करेंगे और ऐसे विनिश्चयों को अगली बैठक में भवन एवं संकर्म समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
- 12. संस्थान के निदेशक -** (1) निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा चयन किए गए नामों के पैनल से की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : -
- (i) परिषद का सदस्य -सचिव खोज-सह-चयन समिति की अध्यक्षता करेगा;
- (ii) तीन सदस्य प्रख्यात प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रोद्योगविदों और प्रबंधन विशेषज्ञों में से चुने जाते हैं ।
- (2) जहां निदेशक के पद का कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त होने की संभावना है, बोर्ड ऐसी रिक्ति के होने से नौ मास पहले चयन की प्रक्रिया आरंभ करेगा । कार्यकाल पूरा होने से कम से कम दो मास पहले चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा ।
- (3) पहली पदावधि में निदेशक के पद का वर्तमान पदधारी और तब उसकी निरंतरता के बारे में सभी पणधारियों की फ्रीडबैक के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- टिप्पण:** यदि पदधारी दूसरी पदावधि में है, तो उसकी पदावधि पूरी होने से कम से कम तीन मास पहले यह विनिश्चित और घोषित किया जाना चाहिए ।
- (4) निदेशक के पद के लिए नामनिर्देशन विज्ञापित किए जाएंगे ।
- (5) खोज-सह-चयन समिति उम्मीदवारों को वैयक्तिक रूप से संवाद के लिए आमंत्रित करने से पहले योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को छांटने के लिए सशक्त है।
- (6) खोज-सह-चयन समिति द्वारा निदेशक के पद के लिए प्रस्तावित नामों का एक पैनल बोर्ड के समक्ष विचार किए जाने के लिए और अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश के लिए रखा जाएगा । केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात, बोर्ड निदेशक की नियुक्ति करेगा।
- (7) निदेशक के वेतन एवं भत्ते भारत सरकार के आदेशानुसार नियत किए जाएंगे।

- (8) निदेशक, संस्थान के किसी आचार्य को उपलब्ध वृत्तिक और अन्य फायदों के लिए पात्र होगा।
- (9) निदेशक पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, पूरा होने तक पद धारण करेगा।
- (10) आवेदक खाद्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खाद्य और कृषि-व्यवसाय प्रबंधन में डॉक्टरेट की उपाधि धारण करने वाला एक प्रख्यात अकादमिक होगा या जो इसके समतुल्य उक्त क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान का अनुभव रखता हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कम से कम सात वर्षों पूर्णकालिक आचार्य के रूप में कार्य किया हो या प्रशासनिक अनुभव के साथ, कम से कम पंद्रह वर्षों से उच्च स्तरीय पर खाद्य उद्योग का अनुभव रखता हो।
- (11) निदेशक के पद के लिए, आवेदक ने विज्ञापन की तारीख को पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।
- (12) किसी भी व्यक्ति को दो पदावधियों से अधिक पदावधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (13) निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति एक भारतीय नागरिक होगा।
- (14) निदेशक बोर्ड को तीन मास की सूचना देकर पद से त्यागपत्र दे सकेगा, यदि प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है तो उसे स्वीकार किया गया माना जाएगा, और सूचना की अवधि समाप्त होने पर निदेशक को कार्यमुक्त किया गया माना जाएगा। यदि इस विषय पर कोई विनिश्चय नहीं किया गया है, तो निदेशक सूचना अवधि के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकेगा परंतु यह तब जब, यदि बोर्ड यह विनिश्चय करता है कि निदेशक को सूचना की अवधि पूरी किए बिना तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जा सकता है, तो निदेशक को शेष सूचना अवधि के लिए वेतन का संदाय करके कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
- (15) किसी भी कारण से निदेशक का पद अकस्मात् रिक्त होने की दशा में नियमित आधार पर पद को भरने की प्रक्रिया ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।
- (16) बोर्ड, निदेशक को पद से हटा सकता है, यदि वह-
- क. एक ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या
  - ख. निदेशक के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या
  - ग. ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिनसे निदेशक के रूप में कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
  - घ. पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है या ऐसा आचरण किया है कि उसके पद पर बने रहने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है : परंतु निदेशक को केंद्रीय सरकार के अनुमोदन द्वारा और की गई जांच, जिसमें निदेशक को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित कर दिया गया है और सुनवाई का यथोचित अवसर दिए जाने के पश्चात् ही, बोर्ड द्वारा किए गए आदेश द्वारा, पद से हटाया जाएगा अन्यथा नहीं।
- (17) निदेशक का पद, किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है, बोर्ड तब तक स्थानापन्न निदेशक की नियुक्ति कर सकता है जब तक किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति कर दी जाती है।
- (18) निदेशक, संस्थान के परिसर में पांच वर्ष के पूर्ण कार्यकाल वाले मूल वेतन का चार गुना की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए फर्निशिंग या फर्निशिंग के नवीनीकरण के लिए उपबंध सहित सुसज्जित कार्यालय-सह-निवास स्थान का हकदार होगा जो ऐसी लाइसेंस फीस से मुक्त होगा जो बोर्ड द्वारा मंजूर की जाए।
- (19) निदेशक को अपने निवास पर तथा निवास के बाहर सरकारी अतिथियों के सत्कार हेतु संस्थान के मानदंडों के अनुसार समुचित वाउचरों के साथ प्रति माह मूल वेतन के चार प्रतिशत तक सत्कार भत्ते का संदाय किया जाएगा।
- (20) निदेशक केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।
- (21) निदेशक संस्थान का प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह संस्थान के समुचित प्रशासन के लिए तथा उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह संस्थान के कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

- (22) निदेशक बोर्ड के समक्ष वार्षिक बजट प्रस्ताव, वार्षिक लेखे तथा वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (23) निदेशक, इस संस्थान के पूर्णतः अथवा अंशतः सदृश उद्देश्यों वाले विश्व के किसी भाग में शैक्षणिक या अन्य संस्थानों के साथ संकाय सदस्यों, वरिष्ठ कृत्यकारियों, विद्वानों तथा विद्यार्थियों का ऐसी रीति में विनिमय करके जो उनके क समान उद्देश्यों में सहायक हों, सहयोग करने हेतु समझौता ज्ञापन अथवा करार करेगा तथा उन्हें अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (24) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का फलन करेगा जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त किए जाएं अथवा समनुदेशित किए जाएं।

**13. उप निदेशक -** (1) निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा संस्थान के संकाय सदस्यों में से उप निदेशक की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे निदेशक की सिफारिश और बोर्ड के अनुमोदन से एक वर्ष के लिए दो बार और बढ़ाया जा सकता है।

- (2) उप निदेशकों की संख्या बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएगी।
- (3) उप निदेशक शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में तथा उच्चतर विद्या और अनुसंधान के अन्य संस्थानों और औद्योगिक उपक्रमों के साथ भी संपर्क बनाने में निदेशक की सहायता करेगा।
- (4) उप निदेशक इस पद को धारण करने के आधार पर अतिरिक्त आर्थिक फायदे का हकदार होगा जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए।

**14. संकायाध्यक्ष -** (1) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति संस्थान के संकाय सदस्यों में से बोर्ड द्वारा की जाएगी।

- (2) निदेशक, संस्थान के सुचारू संचालन के हित में, बोर्ड द्वारा उपयुक्त संख्या में संकायाध्यक्ष नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव करेगा।
- (3) नियुक्ति शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और इसे निदेशक द्वारा एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- (4) प्रत्येक नियुक्त संकायाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और निदेशक द्वारा उसे सौंपे गए ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं।
- (5) संकायाध्यक्ष विद्या संबंधी, अनुसंधान, आउटरीच कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित मामलों को संभालेंगे।

टिप्पण: ये कार्य निदेशक द्वारा महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर हैं और इन्हें विभाजित भी किया जा सकता है और स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग संकायाध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं।

- (6) संकायाध्यक्ष इस पद को धारण करने के आधार पर अतिरिक्त आर्थिक फायदे के हकदार होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

**15. रजिस्ट्रार -** रजिस्ट्रार, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करें, बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

**16. संस्थान में विभाग -** (1) अधिनियम के प्रारंभ से पहले विद्यमान सभी विभाग, इस अधिनियम के अधीन विभागों के रूप में गठित समझा जाएगा।

- (2) बोर्ड हर तीन वर्ष में एक बार, विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए तीन से पांच बाहरी विशेषज्ञों से मिलकर एक समीक्षा समिति का गठन करेगा।
- (3) बोर्ड द्वारा गठित समीक्षा समिति शैक्षणिक स्कीम में बड़े परिवर्तन, विभागों के विलय या बंद करने के लिए सुझाव दे सकती है: परंतु विभाग को बंद करने के किसी भी विनिश्चय के साथ-साथ उनके सभी नियमित शैक्षणिक साथ ही अन्य संस्थाओं में अशैक्षणिक कर्मचारियों को समायोजित करने के मुद्दे को सुलझाना होगा।
- (4) विभाग के कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए नियमित पूर्णकालिक संकाय, अतिथि या सहायक या संविदा संकाय, प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी होंगे।



- (5) प्रत्येक विभाग को एक शैक्षणिक कार्यक्रम की कल्पना करने का अधिकार है और इसे सिनेट और बोर्ड के अनुमोदन पर शुरू किया जाएगा।
  - (6) विभाग संकाय सदस्यों द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर प्रमाणपत्र या डिप्लोमा कार्यक्रम की पेशकश करेगा।
  - (7) सिनेट और बोर्ड द्वारा उनके अनुमोदन के अध्यक्षीन, प्रत्येक विभाग संस्थान के भीतर और बाहर अन्य संस्थाओं में सम्मिलित होकर, अनुशासनात्मक और अंतर-विषयक संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम बना सकता है।
  - (8) विभागों को पांच वर्ष में कम से कम एक बार शैक्षणिक कार्यक्रम की समीक्षा करने और सिनेट को रिपोर्ट देना अपेक्षित है। ऐसी समीक्षा में कार्यक्रम की गुणवत्ता और उपयोगिता की समीक्षा सम्मिलित होनी चाहिए।  
टिप्पण: शिक्षण कार्यक्रम के मामले में, व्यवसायों या वृत्ति के लिए स्नातकों की स्वीकृति एक प्रमुख पैरामीटर का गठन करेगी।
  - (9) संस्थान का प्रत्येक विभाग एक अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसे बोर्ड द्वारा अधिकथित रीति में संकाय प्रोफेसर में से निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा: परंतु जब निदेशक की राय में, स्थिति की मांग हो, तो निदेशक स्वयं अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर सकता है या उसे उप निदेशक के प्रभार में ऐसी अवधि के लिए रख सकता है जो निदेशक विनिश्चित करे।
  - (10) विभागाध्यक्ष शैक्षणिक और प्रशासनिक विभागाध्यक्ष होगा और संस्थान प्रशासन से जुड़ा होगा।
  - (11) विभागाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह संस्थान के प्राधिकारियों के सभी विनिश्चयों को कार्यान्वित करे और निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करे।
  - (12) विभागाध्यक्ष विभाग के पास उपलब्ध सभी संसाधनों के कुशल उपयोग के संबंध में विनिश्चय लेने के लिए उत्तरदायी होगा।
  - (13) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि विभाग द्वारा प्रशासित सभी शैक्षणिक कार्यक्रम अधिकतम शैक्षणिक सख्ती और सत्यनिष्ठा के साथ कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं।
- 17. उत्कर्ष केंद्र -** (1) विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और सिनेट के अनुमोदन से विशेष क्षेत्र में उत्कर्ष केंद्र बना सकते हैं।
- (2) अधिनियम के प्रारंभ से पहले विद्यमान उत्कर्ष केंद्र, अधिनियम के अधीन उत्कर्ष केंद्र के रूप में गठित माना जाएगा।
  - (3) विभाग प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार, उत्कर्ष केंद्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने और सिनेट को प्रगति की रिपोर्ट देने और उत्कर्ष केंद्र को बंद करने की सिफारिश करने के लिए तीन बाहरी विशेषज्ञों से मिलकर एक समीक्षा समिति का गठन करेगा।
  - (4) उत्कर्ष केंद्र में कोई नियमित संकाय या कर्मचारी नहीं होगा, वे साधारणतया विभाग से संबंधित होते हैं: परंतु उत्कर्ष केंद्र में संस्थान द्वारा वित्त पोषित संविदा या अतिथि या सहायक संकाय या कर्मचारी या उद्योग अथवा बाहरी स्रोतों द्वारा समर्थित अध्यक्ष होंगे।
  - (5) उत्कर्ष केंद्र से सहयुक्त संकाय से मूल विभाग में अपने शिक्षण और प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जारी रखना अपेक्षित होता है। उन्हें एक से तीन वर्ष के लिए विभाग में उनके उत्तरदायित्वों से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मुक्त किया जाएगा।
  - (6) उत्कर्ष केंद्र को बढ़ते अनुसंधान कार्यक्रम में वृद्धि, अनुसंधानविद् के विशेष आबंटन और उत्कर्ष केंद्र के लिए अध्येतावृत्ति पर ध्यान केंद्रित करना है।
  - (7) उत्कर्ष केंद्र विभाग से संबद्ध उत्कर्ष केंद्र विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा संचालित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देगा।
  - (8) उत्कर्ष केंद्र का प्रमुख, - (क) विभागाध्यक्ष संकाय सदस्यों में से उत्कर्ष केंद्र के प्रमुख को नामनिर्दिष्ट करेंगे और अनुमोदन के लिए निदेशक को अग्रेषित करेंगे;

- (ख) सामान्यतः नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और दो और अवधियों के लिए विस्तारित की जाएगी;
- (ग) प्रत्येक विस्तारण, उत्कर्ष केंद्र के पणधारियों से फीडबैक की प्राप्ति पर और तब सिफारिश करने पर निदेशक द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर अनुदत्त किया जाएगा;

**टिप्पण:** वर्तमान प्रमुख के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम तीन मास पहले यह कार्य पूरा किया जाएगा।

- (घ) उत्कर्ष केंद्र के प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ङ.) उत्कर्ष केंद्र के प्रमुख यह निगरानी करेंगे कि संस्थान के अधिकारियों के सभी विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाता है।
- (च) उत्कर्ष केंद्र के प्रमुख उत्कर्ष केंद्र में उपलब्ध सभी संसाधनों के कुशल उपयोग पर विनिश्चय लेने के लिए उत्तरदायी हैं।
- (छ) उत्कर्ष केंद्र के प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमों और शोध छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शोध और उसे समय पर पूरा करने के लिए निगरानी करेंगे।

**18. अंतर विषयक अनुसंधान केंद्र -** (1) बोर्ड के अनुमोदन से सिनेट की सिफारिशों के साथ अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा सकता है।

(2) सिनेट तीन वर्ष में एक बार, समीक्षा समिति का गठन करेगी जिसमें तीन बाहरी विशेषज्ञ होंगे और यह अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने और सिनेट को प्रगति की रिपोर्ट देने और अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र को बंद करने की समीक्षा करेगी।

(3) अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र से सहयुक्त संकाय का एक मूल विभाग होगा और वे अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र के अलावा मूल विभाग के शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों में बने रहेंगे और उन्हें अंतर विषयक अनुसंधान केंद्र और मूल विभाग के संयुक्त नियुक्त व्यक्ति माना जाएगा।

(4) अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र को मजबूत करने के लिए, निदेशक एक अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र के लिए एक काल्पनिक संकाय का आबंटन करेगा, जिसमें यह उपबंध होगा कि अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र से जुड़े अनुसंधान हित वाले संकायों की सजातीय विभागों द्वारा भर्ती की जानी है और अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र के साथ संयुक्त संकाय के रूप में नियुक्त किया गया।

(5) अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र संस्थान द्वारा बाहरी स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित संविदा पर या अतिथि या सहायक को संकाय नियुक्त करेगा।

(6) अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र अनुसंधान कार्यक्रम में सम्मिलित होने और उनके अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र के लिए अनुसंधानविदों और अध्येतावृत्ति के विशेष आबंटन के लिए प्रतिबद्ध है।

(7) अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र सहयुक्त संकाय से गठित समिति द्वारा संचालित और सजातीय विभागों के अनुमोदन से शोध कार्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देगा।

(8) अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र से अपने स्वयं के पाठ्यक्रम पढ़ाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यदि अपेक्षित हो तो मुख्य रूप से शोध छात्रों के लिए लक्षित अनुसंधान और पृष्ठभूमि पाठ्यक्रम प्रदान करें।

(9) निदेशक द्वारा प्रशासन के लिए अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र के संकाय सदस्यों में से एक प्रमुख की नियुक्ति की जाएगी।

(10) यह नियुक्ति सामान्य रूप से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, और इसे दो और अवधियों के लिए विस्तारित किया जाएगा।

(11) प्रत्येक विस्तारण अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र के पणधारियों से फीडबैक की प्राप्ति पर निदेशक द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर ही अनुदत्त किया जाएगा।

**टिप्पण:** सिफारिश प्रक्रिया अवधि समाप्त होने के कम से कम तीन मास पहले पूरी की जाएगी।

(12) अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र के प्रमुख, - (क) अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र का प्रमुख अंतर-विषयक अनुसंधान केंद्र का शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों का प्रमुख होगा और संस्थान प्रशासन से जुड़ा होगा;

(ख) अंतर विषयक अनुसंधान केन्द्र के प्रमुख, निगरानी करेंगे कि संस्थान के अधिकारियों के निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है;

(ग) अंतर विषयक अनुसंधान केन्द्र के प्रमुख अंतर विषयक अनुसंधान केन्द्र के अधिकार में रखे गए सभी संसाधनों के कुशल उपयोग पर विनिश्चय लेने के लिए उत्तरदायी हैं;

(घ) अंतर विषयक अनुसंधान केन्द्र के प्रमुख अंतर विषयक अनुसंधान केन्द्र में शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा कार्यरत शोध छात्रों को समय पर शोध कार्य पूर्ण करने के लिए निगरानी करेंगे।

**19. अध्ययन के स्कूल -** (1) विभिन्न विभागों के संकाय एक साथ मिलकर शैक्षणिक कार्यक्रम और संबंधित स्कूल का प्रस्ताव रख सकते हैं।

- i. सिनेट के अनुमोदन और बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण से स्कूल का गठन किया जा सकता है।
- ii. स्कूल का प्राथमिक कार्य स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रम की पेशकश करना है जो वैयक्तिक विभाग द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है।
- iii. स्कूल संकाय सदस्यों के पास उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर प्रमाणपत्र या डिप्लोमा प्रोग्राम की पेशकश करेगा।

(2) सिनेट प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार, स्कूल के प्रदर्शन की समीक्षा करने और सिनेट को इसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा समिति का गठन करेगी जो तीन बाहरी विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी।

(3) स्कूल से सहयुक्त संकाय का एक मूल विभाग होगा और स्कूल के अलावा शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों में सम्मिलित रहेगा और उन्हें स्कूल और मूल विभाग के संयुक्त नियुक्त व्यक्ति माना जाएगा।

टिप्पण: स्कूल को मजबूत करने के लिए, निदेशक इस उपबंध के साथ एक काल्पनिक संकाय का आबंटन कर सकते हैं कि स्कूल से जुड़े अनुसंधान हितों वाले इतनी संख्या के संकायों को सजातीय विभागों से संयुक्त रूप से भर्ती किया जाना है।

(4) स्कूल संस्थान या बाहरी स्रोतों द्वारा वित्त पोषित संकाय संविदा पर या अतिथि या सहायक आधार पर नियुक्त करेगा।

(5) स्कूल के संकाय से मूल विभाग में अपने शिक्षण और प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जारी रखने की प्रत्याशा की जाती है :

परंतु विभाग एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए विभाग में अपनी उत्तरदायित्वों से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मुक्त कर सकते हैं।

(6) स्कूल छात्रों को स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रचारित करेगा और प्रवेश देगा और प्रवेश प्रक्रिया स्कूल के सजातीय विभागों के अनुमोदन पर संकाय के साथ गठित एक समिति द्वारा की जाएगी।

**(7) स्कूल अध्ययन के प्रमुख -** (क) स्कूल के प्रमुख स्कूल के संकाय सदस्यों में से निदेशक द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी।

(ख) निदेशक स्कूल के प्रमुख की अवधि को एक और अवधि के लिए विस्तारित कर सकता है।

(ग) अवधि विस्तारण स्कूल के पणधारियों से फीडबैक की प्राप्ति पर और तब सिफारिश करने पर निदेशक द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर दिया जाएगा।

टिप्पण: प्रक्रिया वर्तमान प्रमुख की अवधि समाप्त होने से कम से कम तीन मास पहले पूरी की जाएंगी।

(घ) स्कूल का प्रमुख स्कूल का शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों का प्रमुख होगा और संस्थान प्रशासन से जुड़ा होगा।

(ङ) स्कूल के प्रमुख स्कूल के अधिकार में रखे गए सभी संसाधनों के कुशल उपयोग पर विनिश्चय लेने के लिए उत्तरदायी होंगे।

**20 . शैक्षणिक सहायता केंद्र -** (1) बोर्ड सिनेट की सिफारिश पर शैक्षणिक सहायता केंद्र स्थापित कर सकता है।

(2) अधिनियम के प्रारंभ से पहले विद्यमान सहायक संस्थाओं को अधिनियम के अधीन शैक्षणिक सहायता केंद्र के रूप में गठित माना जाएगा।

(3) बोर्ड प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार, शैक्षणिक सहायता केंद्रों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन करेगा जो तीन आंतरिक और दो बाहरी विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी।

(4) समीक्षा समिति स्टाफिंग संरचना सहित परिवर्तनों का सुझाव देगी और उनके कार्यचालन के लिए प्रभावी सहायता प्रदान करेगी।

(5) शैक्षणिक सहायता केंद्र के पुस्तकालय और संसाधन केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, इंस्ट्रुमेंटेशन यूनिट, पायलट प्लांट और शिक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र सहित विशेष कार्य होंगे।

(6) शैक्षणिक सहायता केंद्रों के प्रमुख - (क) निदेशक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ परामर्श करने के बाद शैक्षणिक सहायता केंद्रों के प्रमुख को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(ख) शैक्षणिक सहायता केंद्रों के प्रमुख की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(ग) निदेशक शैक्षणिक सहायता केंद्रों के प्रमुख की अवधि को एक और अवधि के लिए बढ़ाएंगे।

(घ) अवधि विस्तारण शैक्षणिक सहायता केंद्रों के पणधारियों से फीडबैक की प्राप्ति पर निदेशक द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर ही अनुदत्त किया जाएगा।

टिप्पण: सिफारिश की प्रक्रिया वर्तमान प्रमुख की अवधि समाप्त होने से कम से कम तीन मास पहले पूरी की जाएगी।

(7) शैक्षणिक सहायता केंद्रों का प्रमुख शैक्षणिक सहायता केंद्रों का शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमुख होगा और संस्थान प्रशासन से जुड़ा होगा।

**21 . कर्मचारियों का वर्गीकरण -** (1) संस्थान के कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा: -

- (i) शैक्षणिक स्टाफ में निदेशक, उप निदेशक, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य शैक्षणिक पद सम्मिलित होंगे जो बोर्ड द्वारा तय किया जाये।
- (ii) तकनीकी स्टाफ में पर्यवेक्षक (कार्यशाला), तकनीकी सहायक और अन्य ऐसे तकनीकी पद सम्मिलित होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाये।
- (iii) प्रशासनिक स्टाफ में रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, लेखा अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षक, प्रबंधक (सुविधाएं), सुरक्षा अधिकारी, निजी सचिव, कार्यकारी सहायक और ऐसे अन्य प्रशासनिक पद सम्मिलित होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाए।

(2) संस्थान के सभी विद्यमान कर्मचारियों को उनकी वर्तमान नियुक्ति में पदनाम और उनके कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त पदनाम के साथ उपरोक्त प्रवर्गों में से एक में स्थानांतरित किया जाएगा।

**22 . नियुक्तियाँ और नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएँ -**

(1) संस्थान में सभी पदों को विज्ञापन द्वारा भरा जाएगा।

परंतु बोर्ड को निदेशक की सिफारिशों पर विनिश्चय करने की शक्ति होगी कि किसी विशेष पद को संस्थान के बाहर से आमंत्रण द्वारा भरा जाए।

(2) यदि पद विज्ञापन द्वारा भरा जाना है, तो पद की सेवा शर्तों रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापित की जाएगी और विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर स्क्रीनिंग के लिए विचार किया जाएगा और शॉर्ट-लिस्टिंग बोर्ड द्वारा गठित एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी।

(3) उपरोक्त मद (ख) में किसी भी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड उचित समझे, तो विभिन्न पदों के लिए संस्थान की वेब साइट पर एक विज्ञापन चल रहा होगा, और प्राप्त आवेदनों पर समुचित विभागीय समितियों द्वारा विचार किया जा सकता है और उनकी सिफारिशें निदेशक को बोर्ड द्वारा अधिकथित चयन की प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएंगी।

(4) विज्ञापन और नियुक्ति करते समय, बोर्ड विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों का पालन करेगा।

(5) नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए, विद्यमान भर्ती नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नए भर्ती नियमों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

23. (1) पीठ आचार्य पद, संयुक्त संकाय, सहायक संकाय, विशिष्ट संकाय, मानद् आचार्य, और अतिथि संकाय नियुक्तियां - संस्थान पीठ आचार्य पद सृजित कर सकता है जिसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संस्थान के अपने संसाधनों से या दान के माध्यम से प्राप्त निधियां से वित्त पोषित किया जा सकेगा।
- (2) संस्थान ऐसे शिक्षकों की संयुक्त नियुक्ति कर सकेगा जो अपना समय देश के भीतर या बाहर किसी अन्य संस्थान के साथ अनुसंधान या शिक्षण या दोनों के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर साझा कर सकते हैं जो बोर्ड विनिश्चित करे। एक विदेशी संकाय सदस्य के मामले में, नियुक्ति के निबंधन और शर्तें केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन होंगी।
- (3) संस्थान, संस्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर मानद्, प्रतिष्ठित, सहायक संकाय और अतिथि संकाय की नियुक्ति कर सकेगी। बोर्ड इन नियुक्तियों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों को तैयार करेगा।

#### 24. कर्मचारियों के लिए फायदे और सुविधाएं:-

- (1) बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाओं और बीमा सहित विभिन्न लाभों और सुविधाओं का विनिश्चय किया जा सकेगा।
- (2) अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले नियोजित सभी नियमित संकाय और गैर-संकाय कर्मचारी संस्थान में उसी कार्यकाल, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तों के साथ पद धारण करेंगे, जैसा कि वह अधिनियम के प्रभावी नहीं होने पर धारित करते होते और तब तक करते रहेंगे जब तक और उनका रोजगार समाप्त नहीं हो जाता, या नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद ऐसे कार्यकाल, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाता है।

#### 25. फीस -

- (1) अध्यापन फीस और छात्रावास फीस में दो भाग सम्मिलित होंगे: (क) सरकार द्वारा अवधारित फीस; और (ख) फीस जो बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (2) अवधान निधि अंतिम रूप से संस्थान छोड़ने के समय, सुसंगत देय राशि, यदि कोई हो, की कटौती के पश्चात छात्र, विद्वान और अध्येताओं को वापस की जाएगी और जहां संस्थान छोड़ने के दो वर्ष के भीतर वापसी के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो अवधान निधि छात्र कल्याण कोष में जमा की जाएगी।
- (3) फीस रियायत और छात्रवृत्ति, जो सरकार द्वारा अवधारित की जाए।
- (4) बोर्ड छात्रों को अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति और सहायकवृत्ति प्रदान करेगा।
- (5) बोर्ड पुरस्कार के मूल्य, संख्या और शर्तों को विनिश्चित करेगा।
- (6) उपर्युक्त उल्लिखित प्रयोजनों के लिए संस्थान की निधि के अतिरिक्त, दान से प्राप्त निधियों का भी उपयोग किया जा सकता है।

[फा. सं. I-11013/1/2020-आईडी-भाग (1)]

मिन्हाज आलम, अपर सचिव

## MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2022

**G.S.R. 724(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act, 2021, (19 of 2021), the Council with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following Statutes, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These statutes may be called the First Statutes of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur, Tamil Nadu, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** – (1) In these Statutes, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act, 2021 (19 of 2021);
  - (b) “Authorities” means the Authorities of the Institute as specified under Statute 5;
  - (c) “Board” means the Board of Governors referred in section 11 of the Act.
  - (d) “Building and Works Committee” means the Building and Works Committee of the Institute constituted under Statute 9 ;
  - (e) “Faculty” means teaching faculty including Assistant Professors, Associate Professors and Professors of the Institute;
  - (f) “Finance Committee” means the Finance Committee of the Institute constituted under Statute 6.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them under the Act.

**3. Meeting of the Board.** – (1) The meeting of the Board shall be presided over by the Chairperson and in his absence, a Member chosen from amongst the Board of Governors present, shall preside over the meeting;

- (2) The Board shall ordinarily meet at least once in every quarter in a calendar year and meetings of the Board shall ordinarily be convened by the Chairperson either on his motion or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than three Members of the Board;
- (3) The notice of the Meeting shall be sent by the Member-Secretary of the Board, upon the directions of the Chairperson either electronically or through post, at least two weeks before the date of the meeting and the notice shall state the place, the date and the time of the meeting: Provided that the Chairperson may, call for a meeting of the Board at a short notice to consider urgent matters.
- (4) Request from Members for inclusion of any item on the agenda shall reach the Registrar at least ten days before the meeting: Provided that the Chairperson may permit the inclusion of any item in the agenda for which due request has not been received;
- (5) The agenda of the meeting shall be circulated by the Registrar to the Member at least seven days before the meeting;
- (6) One-third of the existing strength of the Board of Governors and at least one Member from outside the Institute, shall constitute the quorum for meeting: Provided that in the absence of the quorum, the meeting may be adjourned by the presiding officer and rescheduled as and when the Member present will constitute the quorum.
- (7) Members of the Board may attend the meeting online with prior intimation to the Chairperson;
- (8) If the non-official Member of the Board fails to attend three consecutive meetings without leave of absence, he shall cease to be a Member of the Board;
- (9) The decisions of the Board of Governors shall be decided by a majority of the Members present and in case of a stalemate, the Chairperson or the Member presiding the meeting shall exercise a casting vote;
- (10) The decisions of the Chairperson in regard to all matters relating to procedure shall be final;
- (11) Resolution may be adopted by circulation among Members and the resolution so circulated and adopted by a majority of the Members shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Board;
- (12) The minutes of the proceedings of the meeting of the Board shall be prepared by the Registrar and circulated to all the Members of the Board:
  - (a) The minutes, along with any amendment suggested, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Board.
  - (b) After the minutes are confirmed, the minutes shall be signed by the Chairperson;
- (13) All decisions of the Board shall be authenticated by the Registrar;

- (14) Allowances of the Members of the Board and other Committees shall be governed by the Government of India norms.
- 4. Senate.** – (1) The Senate shall be the principal academic body of the Institute and the Head of Departments, Schools, Centres and Librarian shall be the members of the Senate in addition to the members mentioned in clauses (a) to (d) of sub-section (1) of section 16 of the Act.
- (i) the Senate shall ordinarily meet at least once in every quarter or with the permission of the Director as and when needed, or, on a written requisition of not less than one-third of the members of the Senate;
- (ii) the meeting notice shall be sent by the Member-Secretary of the Senate electronically or through the post, to the members at least two weeks before the date of the meeting and the notice shall state the place, the date, and the time of the meeting.
- (iii) notices for inclusion of any item on the agenda shall reach the Registrar, at least ten days before the meeting: Provided that the Director may permit the inclusion of any item in the agenda for which due notice has not been received;
- (iv) the agenda of the meeting shall be circulated by the Member-Secretary to the Members at least seven days before the meeting. The table agenda should be included only under exceptional circumstances with due explanation to the members at the time of placement;
- (v) one-third of the existing strength of the Senate shall constitute the quorum for the meeting;
- (vi) the members may attend the meeting through online with prior intimation to the Director.
- (vii) in addition to powers vested under the Act, the Senate shall have the following powers, namely:-
- (a) maintenance of discipline among students and faculty, admissions, fixing of fee structuring and other academic requirements;
  - (b) sanction for academic programmes, framing the syllabus and oversee the conduct of students;
  - (c) set up new academic entities, Department, Centre of Excellence, Inter-disciplinary research centres, School of studies or Academic support centres;
  - (d) fix standards for comprehensive assessment of academic programs and academic entities and the assessment shall be carried out through external and internal experts.
  - (e) academic programme and entity shall be assessed at least once in five years and the Senate to take decision on its growth through additional resource allocation, continuation or closure;
  - (f) declare the result of academic examinations or to appoint Committees or officers, to do so and to make recommendations to the Board regarding conferment or grant of Degrees, Diplomas and other academic distinctions or titles;
  - (g) appoint, Committees comprising the members of the Senate, other teachers of the Institute and expert from outside to advice on specific academic matters as may be referred to any such Committee by the Senate;
  - (h) award stipends, scholarships, medals and prizes and make other awards in accordance with the Ordinances and such other conditions as may be attached to the awards;
  - (i) make recommendations to the Board with regard to creation of posts on the academic staff and the abolition thereof, emoluments and duties attached to such posts;
  - (j) fix the criteria for the award of academic degrees and honours and approve each individual award;
  - (k) fix the criteria for the termination of academic programmes and approve termination with due deliberation;
  - (l) constitute permanent and sub-committees, appoint their members and to delegate the powers of the Senate;

- (m) authorise the Director with powers to facilitate speedy decision-making in academic matters: Provided that all academic decisions of the sub-committees and of the Chairperson and functionaries shall be reported to the Senate for confirmation;
- (n) all academic matters related to the selection of students or participants in academic programs and periodic information regarding their progress- shall be reported to the Senate for approval;
- (o) approve the changes in the programme of study;
- (p) policy and infrastructural initiatives that have bearing on the research and academic profile of the Institute shall be presented to the Senate on a regular basis for comments and advice, which shall be non-binding but shall be communicated to the Board;
- (q) invite experts as may be deemed fit to attend meetings.
- (2) Proposals considered by the Senate shall be decided by a majority of the members present and in case of a stalemate, the Director shall have a casting vote.
- (3) Resolution may be adopted by circulation among Members and any resolution so circulated and adopted by a majority of the Members shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Senate.
- (4) The minutes of the proceedings of the meeting shall be prepared by the Registrar and circulated to all the members:
- (i) the minutes along with amendments, if any suggested, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Senate;
- (ii) after the minutes are confirmed, the minutes shall be signed by the Director.
- 5. Authorities of the Institute.** – In addition to the Authorities specified in section 10 of the Act, there shall be Authorities of the Institute, namely: -
- (i) the Finance Committee;
- (ii) the Building and Works Committee; and
- (iii) the Search cum Selection Committee.

**6. Constitution of the Finance Committee.** – The Finance Committee shall consist of the following members, namely: -

S. No.	Member	Role
(1)	Chairperson of the Board	Chairperson – <i>Ex-officio</i>
(2)	Director of the Institute	member – <i>Ex-Officio</i>
(3)	Additional Secretary and Financial Advisor (Ministry of Food Processing Industries) or nominee	member – <i>Ex-Officio</i>
(4)	Joint Secretary (Ministry of Food Processing Industries -Institute Division) or nominee	member – <i>Ex-Officio</i>
(5)	Two Members amongst the Members of the Board nominated by the Board	Member – <i>Non-official</i>
(6)	Registrar of the Institute	<i>Ex-officio</i>

**7. Working of the Finance Committee.** – (1) Every meeting of the Finance Committee shall be presided by the Chairperson of the Board and in absence, a member chosen from amongst the Committee shall preside the meeting.

- (2) The Finance Committee shall meet at least once in every quarter of the year.
- (3) Meetings of the Finance Committee shall ordinarily be convened by the Convener as directed by Chairperson either on his motion or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than three members of the Committee.
- (4) meeting notice shall be sent by the Convener at least two weeks before the date of the meeting.
- (i) the notice shall state the place, the date and the time of the meeting;
- (ii) the notice may be sent electronically or through the post.



- (5) Notices for inclusion of any item on the agenda shall reach the Convener from the members, at least ten days before the meeting. The Chairperson may permit inclusion of any item in the agenda for which due request has not been given.
- (6) The agenda of the meeting shall be circulated by the Convener to the members at least seven days before the meeting.
- (7) The decision of the Chairperson in matters relating to procedure shall be final.
- (8) The minutes of the proceedings of a meeting of the Committee shall be prepared by the Registrar and circulated to the members of the Committee.
- (i) the minutes along with amendment, if any suggested, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Committee;
- (ii) after the minutes are confirmed, the minutes shall be signed by the Chairperson.
- (9) Four members shall constitute a quorum for the meeting.
- (10) The members may attend the meeting through online with prior intimation to the Chairperson.

**8. Powers of the Finance Committee.** – (1) The Finance Committee shall;

- develop financial policies of the Institute and shall oversee the revenues and expenditures of the Institute;
  - make recommendations on improving the operational efficiency, synchronizing the costs with projected revenues and on major expenditure proposals, as may be required by the Board;
  - approve the annual accounts and the budget of the Institute prepared by the Controller of Finance shall be placed before the Finance Committee for approval before being submitted to the Board;
  - make recommendations to the Board either *suo-moto* or on the advice of the Board or of the Director on any financial matters and guidance relating to resource mobilisation;
  - perform any other functions as the Board may decide.
- (2) The decisions taken by the Finance Committee will take effect after approval of the Board.
- (3) The final decisions of the Finance Committee would be taken by the Chairperson.
- (4) The role of the Finance Committee is more in the nature of a consultation Committee.

**9. Constitution of the Building and Works Committee-** The Building and Works Committee shall consist of the following members, namely:-

S.No.	Member	Role
(1)	Director of the Institute	Chairperson – <i>Ex-Officio</i>
(2)	Deputy Director or Dean (dealing with Planning and Development)	member – <i>Ex-Officio</i>
(3)	Director or Deputy Secretary (Ministry of Food Processing Industries -Institute Division)	member – <i>Ex-Officio</i>
(4)	Director or Deputy Secretary or Consultant (Ministry of Food Processing Industries – Integrated Finance Division)	member – <i>Ex-Officio</i>
(5)	One expert from the Institute nominated by the Board	member – <i>non-official</i>
(6)	One expert nominated by the Director of the Institute, each from Civil and Electrical Engineering Wing of Central Government or State Government or any autonomous body	member – <i>non-official</i>
(7)	Registrar of the Institute	Convener – <i>Ex-officio</i>

**10. Working of Building and Works Committee.** – (1) Meeting of the Building and Works Committee shall be chaired by the Chairperson and in his absence, any member nominated by the Chairperson.

- (2) The Committee shall meet at least once in every quarter of the year.
- (3) One-third of the existing strength shall constitute the quorum for the meeting of the Committee with any fraction being rounded off to the next higher number.

- (4) The members of the Building and Works Committee may attend the meeting through online with prior intimation to the Director.
- (5) Construction of major capital works shall be done with necessary administrative approval and expenditure sanction from the Board.

**11. Powers of the Building and Works Committee.** (1) The Building and Works Committee shall:

- (i) empowered to grant necessary administrative approval and expenditure sanctions for minor works and works pertaining to maintenance and repairs;
  - (ii) be responsible for getting the estimates prepared and vetted for new construction, minor works and repairs and maintenance;
  - (iii) be responsible for getting the technical scrutiny done for all works; and
  - (iv) be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to give directions for Departmental works: Provided that all the works shall be carried out under the direction of the Finance Committee and the Board.
- (2) Minutes of the meetings of the Building and Works Committee shall be placed before the Board for information.
  - (3) In case of emergency, the Chairperson of the Building and Works Committee shall take decision and such decisions shall be placed for approval before the Building and Works Committee in the next meeting.

**12. Director of the Institute.** – (1) The Director shall be appointed from the panel of names shortlisted by the Search-cum-Selection Committee, to be constituted by the Board, consisting of members, namely:-

- (i) the Member-Secretary of the Council shall chair the Search-cum-Selection Committee;
  - (ii) three members are chosen from amongst eminent administrators, industrialists, educationists, scientists, technocrats and management specialists.
- (2) Where the post of the Director is likely to fall vacant on account of completion of tenure, the Board shall initiate the process of selection nine months prior to the occurrence of such vacancy. The selection process shall be finalised at least two months prior to the completion of tenure.
  - (3) The present incumbent of the post of Director in the first term and then an assessment should be done based on the feedback from all stakeholders as to his continuation.

**Note:** In case the incumbent is being in the second term, it should be decided and announced at least three months before the completion of his term.

- (4) Nominations to the post of the Director shall be advertised.
- (5) The Search-cum-Selection Committee is empowered to short-list the candidates on merit before inviting the candidates for in-person interaction.
- (6) A panel of names proposed for the post of Director by the Search-cum-Selection Committee shall be placed before the Board for consideration and recommendation to the Central Government for approval. After approval by the Central Government, the Board shall appoint the Director.
- (7) Pay and allowances of the Director will be fixed in accordance with the orders of the Government of India.
- (8) The Director shall be eligible for professional and other benefits available to a Professor of the Institute.
- (9) The Director shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon office or till completion of the age of seventy years, whichever is earlier.
- (10) The applicant shall be a distinguished academic holding a Doctorate degree in food science, technology and food and agri-business management or equivalent having at least fifteen years of teaching or research experience in the said field and shall have worked as a full - time Professor of a recognised Institute for at least seven years; or shall have food industry experience at a higher level for at least fifteen years, with administrative experience.

- (11) For the post of Director, the applicant shall not have completed the age of sixty-five years as on the date of advertisement.
- (12) No person shall be appointed for more than two terms.
- (13) The person proposed to be appointed as Director shall be an Indian Citizen.
- (14) The Director may resign from the post by giving three months notice to the Board, which shall be deemed to be accepted, if no order has been issued within the three months from the date of receipt and the Director shall be deemed to be relieved on the expiry of notice period. The Director may withdraw his resignation at any time during the notice period if no decision has been taken on the subject: Provided that, if the Board decides that the Director may be relieved with immediate effect without completion of the notice period, then the Director may be relieved by paying him salary for the remaining notice period.
- (15) In case of sudden vacancy of the post of Director on account of any reason, the process for filling up the post on regular basis shall be completed within a period of six months from the date of such vacancy.
- (16) The Board may remove the Director from the office if he—
  - a. has been convicted of an offence which, in the opinion of the Board, involves moral turpitude; or
  - b. has become physically or mentally incapable of acting as a Director; or
  - c. has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially the functions as a Director; or
  - d. has so abused the position or so conducted himself as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: provided that the Director shall not be removed from office except by the approval of the Central Government and an order made by the Board, after an enquiry conducted, in which the Director has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard.
- (17) On account of any reason, the post of Director falls vacant, the Board may appoint an officiating Director till a regular incumbent is appointed.
- (18) The Director shall be entitled to a furnished office-cum-residential accommodation in the campus of the Institute, free of license fee as may be sanctioned by the Board, with provision for furnishing or renewal of furnishing subject to a maximum limit of four times of the basic pay in a full tenure of five years. All the furnishings and fixtures shall be the property of the Institute.
- (19) The Director shall be paid entertainment allowance as per the norms of the institute for the entertainment of official guests at the residence and also outside the residence up to four per centum of the basic pay per month with appropriate vouchers.
- (20) The Director shall be entitled to travelling allowance and leave travel concession as per the rules of the Central Government.
- (21) The Director shall be the principal academic and executive officer of the Institute and shall be responsible for the proper administration of the Institute and for imparting instruction and maintenance of discipline therein and the 'Competent Authority' for the employees of the Institute.
- (22) The Director shall submit annual budget proposals, annual accounts and annual audit reports to the Board.
- (23) The Director shall enter into a Memorandum of Understanding or Agreements to co-operate with educational or other institutes in any part of the world having objects wholly or partly similar to those of the Institutes by exchange of faculty members, senior functionaries, scholars, and students, in such manner as may be conducive to their common objectives and place before the Board for approval.
- (24) The Director shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred on or assigned to him by the Act or the Statutes or Ordinances.

**13. Deputy Director.** – (1) The Deputy Director shall be appointed among the faculty members of the Institute by the Board on the recommendation of the Director for a period of three years which can be extended two more times for one year each with the recommendation of the Director and approval of the Board.

- (2) Number of Deputy Directors shall be decided by the Board.
- (3) The Deputy Director shall assist the Director in academic and administrative work and maintaining liaison with other institutes of higher learning and research and also with industrial undertakings.
- (4) The Deputy Director shall be entitled to additional monetary benefit by virtue of holding this office as may be decided by the Board.

**14. Deans.** – (1) The appointment of the Deans, from among the faculty members of the Institute, shall be made by the Board.

- (2) The Director, in the interest of smooth functioning of the Institute, shall propose suitable number of Deans to be appointed by the Board.
- (3) Appointment would initially be for a period of three years and can be extended for one more year by the Director.
- (4) Each appointed Dean would exercise such powers and perform such duties as assigned to him by the Director.
- (5) The Deans shall handle matters related to academics, research, outreach programs, student welfare and other welfare activity.

Note: These functions are depending on the need felt by the Director and can also be split and separate Deans for undergraduate and postgraduate programmes may be appointed.

- (6) The Dean shall be entitled to additional monetary benefit by virtue of holding this office as may be decided by the Board.

**15. Registrar.** – The Registrar shall be appointed by the Board, on the recommendations of the Selection Committee constituted by the Board, on such terms and conditions as the Central Government may specify.

**16. Departments in the Institute.** – (1) All Departments existing before the commencement of the Act, shall be deemed to be constituted as Departments under the Act.

- (2) Once every three years, Board shall constitute a Review Committee consisting of three to five external experts to review the performance of the Department.
- (3) The Review Committee set up by the Board can make suggestions for major transformation in the pedagogical scheme, merging or closure of Departments: Provided any decision to close the Department would have to simultaneously address the issue of accommodating all their regular academic as well as non-academic staff in other entities.
- (4) The Department shall have regular full-time faculty, visiting or adjunct or contract faculty and administrative and technical staff to administer the programmes.
- (5) Every Department is empowered to conceive of an academic programme and shall be commenced upon the approval of the Senate and the Board.
- (6) Department shall offer Certificate or Diploma programmes depending on the expertise available by the faculty members.
- (7) Every Department can join other entities within and outside the Institute to create joint academic programmes, disciplinary and inter-disciplinary, subject to their approval by the Senate and the Board.
- (8) Departments are required to review the academic programmes at least once in five years and report to the Senate. Such a review should include a review of the quality and utility of the programme.

**Note :** In the case of a teaching programme, the acceptance of the graduates for professions or careers shall constitute a key parameter.

- (9) Each Department of the Institute shall be controlled by a Head, appointed by Director from among the faculty Professor, in a such manner laid down by the Board: Provided that when in the opinion of the Director, the situation so demands, the Director himself may assume the charge of the Head or place it under the charge of the Deputy Director for such period as the Director may decide.
- (10) The Head of the Department shall be the academic and administrative Head of the Department and linked with the Institute administration.
- (11) It shall be the responsibility of the Head of the Department to monitor that all decisions of the authorities of the Institute are implemented and perform such other duties as may be assigned by the Director.
- (12) The Head of the Department shall be responsible for taking decisions on the efficient use of all resources placed at the disposal of the Department.
- (13) The Head of the Department shall ensure that all academic programmes being administered by the Department are run efficiently with at most academic rigour and integrity.

**17. Centre of Excellence.** – (1) The Departments can identify research areas of significance in their domain and create a Centre of Excellence in the particular field with the approval of the Senate.

- (2) The Centre of Excellence existing before the commencement of the Act, shall be deemed to be constituted as Centres of Excellence under the Act.
  - (3) Once every three years, the Department shall constitute a Review Committee consisting of three external experts to review the performance of the Centre of Excellence and report the progress to the Senate and recommend closure of the Centre of Excellence.
  - (4) The Centre of Excellence shall not have any regular faculty or staff, they generally belong to the Department: Provided that the Centre of Excellence shall have contract or visiting or adjunct faculty or staff funded by the Institute or Chairs supported by industry or external sources.
  - (5) The faculty associated with a Centre of Excellence is expected to continue to meet their teaching and administrative commitments in the parent Department. They shall be relieved partially or fully from their responsibilities in the Department for one to three years.
  - (6) The Centre of Excellence is to focus on the growing research program, special allocation of research scholars and fellowships for the Centre of Excellence.
  - (7) The Centre of Excellence shall admit students to the Doctor of Philosophy program, carried out by a Committee constituted by the Department for Centre of Excellence affiliated to the Department.
  - (8) Head of the Centre of Excellence, – (a) The Head of the Department shall nominate the Head of the Centre for Excellence, among faculty members and forward the same to the Director for approval;
  - (b) The appointment would normally be for a period of three years and extended for two more terms;
  - (c) Each extension would only be granted on the recommendation of a Committee set up by the Director, on receipt of feedback from stakeholders of the Centre of Excellence and then make the recommendation;
- Note: The exercise shall be completed at least three months before the expiry of the term of the present Head.
- (d) The Head of the Centre of Excellence shall be responsible for the academic and administration;
  - (e) The Head of the Centre of Excellence shall monitor that all decisions of the authorities of the Institute are implemented.
  - (f) The Head of the Centre of Excellence is responsible for taking decisions on the efficient use of all resources placed at the disposal of the Centre of Excellence.
  - (g) The Head of the Centre of Excellence shall monitor the research programs and research students for their quality research and timely completion.

**18. Inter-Disciplinary Research Centre** – (1) Inter-disciplinary Research Centre can be formed with the recommendations of the Senate with the approval of the Board.

(2) Once every three years, the Senate shall constitute a Review Committee consisting of three external experts to review the performance of the Inter-disciplinary Research Centre and report progress to the Senate and including closure of the Inter-Disciplinary Research Centre.

(3) Faculty associated with Inter-disciplinary Research Centre shall have a parent Department and they shall continue to be involved in the teaching of the parent Department and research activities apart from the Inter-disciplinary Research Centre and would be considered as a joint appointee of the Inter-Disciplinary Research Centre and the parent Department.

(4) To strengthen the Inter-disciplinary Research Centre, the Director shall make a notional faculty allocation to an Inter-disciplinary Research Centre with the provision that number of faculty with research interests aligned to the Inter-disciplinary Research Centre is to be recruited by the cognate departments and appointed as joint faculty with Inter-disciplinary Research Centre.

(5) The Inter-disciplinary Research Centre shall appoint faculty on contract or visiting or adjunct, funded by the Institute or through external sources.

(6) The Inter-disciplinary Research Centre is committed to involving in the research programme and a special allocation of research scholars and fellowships for their Inter-disciplinary Research Centre.

(7) Inter-disciplinary Research Centre shall admit students to the research program, carried out by a Committee constituted with the faculty associated and the approval of the cognate Departments.

(8) The Inter-disciplinary Research Centre is not expected to teach their own courses. If required Provide, offer research and background courses mainly targeted toward research students.

(9) A Head shall be appointed by the Director from among the faculty members of the Inter-disciplinary Research Centre for administration.

(10) The appointment would normally be for a period of three years, and it shall be extended for two more terms.

(11) Each extension would only be granted on the recommendation of a Committee set up by the Director, on receipt of feedback from stakeholders of the Inter-Disciplinary Research Centre.

Note: The recommendation process shall be completed at least three months before the expiry of the term.

(12) Head of the Inter-disciplinary Research Centre, – (a) The Head of the Inter-disciplinary Research Centre shall be both academic and administrative head of the Inter-disciplinary Research Centre and linked with the Institute administration;

(b) The Head of the Inter-disciplinary Research Centre, shall monitor that decisions of the authorities of the Institute are implemented;

(c) The Head of the Inter-disciplinary Research Centre is responsible for taking decisions on efficient use of all resources placed at the disposal of the Inter-disciplinary Research Centre;

(d) The Head of the Inter-disciplinary Research Centre shall monitor the academic programs and research students working in the Inter-disciplinary Research Centre for timely completion.

**19. Schools of Studies** – (1) The Faculty from different Departments can come together to propose an academic program and associated School.

i. School can be formed with the approval of the Senate and vetting by the Board.

ii. The primary function of the School is to offer Undergraduate or Postgraduate programmes that cannot be offered by the individual Departments.

iii. The School shall offer Certificate or Diploma programmes depending on the expertise available with the faculty members.

(2) Once every three years, the Senate shall constitute a Review Committee consisting of three external experts to review the performance of the School and report its progress to the Senate.

(3) The Faculty associated with School shall have a parent Department and continue to be involved in teaching and research activities apart from the School and they are considered joint appointees of the School and the parent Department.

Note: For strengthening the School, the Director can make a notional faculty allocation with the provision that this number of faculty with research interests aligned to the School are to be recruited jointly with the cognate departments.

(4) The School shall appoint faculty on contract or visiting or adjunct, funded by the Institute or external sources.

(5) The faculty of a School is expected to continue to meet their teaching and administrative commitments in the parent Department:

Provided, the Departments can relieve partially or fully from their responsibilities in the Department for a period from one to three years.

(6) The School shall publicise and admit students to the Undergraduate or Postgraduate programmes and the admission process shall be carried out by a Committee constituted with the faculty upon approval of the cognate Departments of the School.

(7) Head of School Studies, – (a) The Head of the School shall be appointed for a period of three years by the Director from among the faculty members of the School.

(b) The Director can extend the term of the Head of the School by one more term.

(c) Extension shall be granted on the recommendation of a Committee set up by the Director, on receipt of feedback from stakeholders of the School and then make the recommendation.

Note: The process shall be completed at least three months before the expiry of the term of the current Head.

(d) The Head of the School shall be both academic and administrative Head of the School and linked with the Institute administration.

(e) The Head of the School shall be responsible for taking decisions on efficient use of all resources placed at the disposal of the School.

**20. Academic Support Centres** – (1) The Board may establish an Academic Support Centre, on the recommendation of the Senate.

(2) The support entities existing before the commencement of the Act, shall be deemed to be constituted as Academic Support Centres under the Act.

(3) Once every three years, the Board would constitute a Review Committee consisting of three internal and two external experts to review the performance of Academic Support Centres.

(4) The Review Committee shall suggest changes including the staffing structure and provide effective support for their functioning.

(5) The Academic Support Centre shall have special functions, including Library and Resource Centre, Computer Centre, Instrumentation unit, Pilot plant and Education Technology Centre.

(6) Head of the Academic Support Centres. – (a) The Director shall nominate the Head of the Academic Support Centres after consulting with the Heads of the entities.

(b) The appointment of the Head of the Academic Support Centres shall be for a period of three years.

(c) The Director shall extend the term of the Head of the Academic Support Centres by one more term.

(d) Extension shall be granted on the recommendation of a Committee set up by the Director, on receipt of feedback from stakeholders of Academic Support Centres.

Note: The recommendation process shall be completed at least three months before the expiry of the term of the current Head.

(7) The Head of the Academic Support Centres shall be the academic and administrative Head of the Academic Support Centres and linked with the Institute administration.

**21. Classification of Employees –** (1) The members of staff of the Institute shall be classified as follows: -

- (i) Academic staff shall include Director, Deputy Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor and such other academic posts or may be decided by the Board.
- (ii) Technical staff shall include Supervisor (Workshop), Technical Assistant and other such technical posts as may be decided by the Board.
- (iii) Administrative staff shall include Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Accounts Officer, Internal Auditor, Manager (Facilities), Security Officer, Private Secretaries, Executive Assistants, and such other administrative posts as may be decided by the Board.

(2) All the existing employees of the Institute shall be transferred to one of the above categories with appropriate designation depending on the designation in their present appointment and the nature of their duties.

**22. Appointments and Procedures for Appointment –**

(1) All posts at the Institute shall be filled by advertisement.

Provided the Board shall have the power to decide, on the recommendations of the Director that a particular post is filled by invitation from outside the Institute.

(2) If the post is to be filled by advertisement, the service conditions of the post shall be advertised by the Registrar and all applications received within the date specified in the advertisement shall be considered for screening and short-listing shall be done by a Screening Committee constituted by the Board.

(3) Notwithstanding anything contained in item (b) above, if the Board considers appropriate, there shall be a running advertisement on the website of the Institute for various posts and applications received which, may be considered by the appropriate Departmental Committees and their recommendations shall be sent to the Director for taking appropriate action in accordance with the procedure for selection laid down by the Board.

(4) While advertising and making appointments, the Board shall follow the orders and instructions issued by the Central Government for various reserved categories.

(5) For the purpose of appointments, the existing recruitment rules shall apply till new recruitment rules are approved by the Board.

**23. (1) Chair Professors, Joint Faculty, Adjunct Faculty, Distinguished Faculty, Honorary Professor, and Visiting Faculty appointments –** The Institute may create a Chair Professorship which may be funded partially or fully from the own resources of the institute or from the funds received through donations.

(2) The Institute may make joint appointments of faculty able to share their time along with another Institution within or outside the country either for research or for teaching or both, on such terms and conditions as the Board may decide. In the case of a foreign faculty member, the terms and conditions of appointment shall be subject to the guidelines of the Central Government.

(3) The Institute may appoint honorary, distinguished, adjunct faculty and visiting faculty at different levels keeping the needs of the Institute. The Board shall frame guidelines relating to these appointments.

**24. Benefits and facilities for Employees: -**

(1) Various benefits and facilities including Leave, Medical facilities and Insurance may be decided by Board, as per extant guidelines of the Central Government.

(2) All regular faculty and non-faculty employees employed before the commencement of the Act shall hold the office in the Institute, with the same tenure, remuneration and terms and conditions, as he would have held had the Act not been effected and shall continue to do so unless and until his employment is terminated, or until such tenure, remuneration, and terms and conditions of service are altered following a process of appointment.



**25. Fee –**

- (1) Tuition fee and Hostel fee shall comprise of two parts: (a) fee determined by the Government; and (b) fee which will be determined by the Board.
- (2) Caution money shall be refundable to students, scholars and fellows at the time of finally leaving the Institute, after deduction of relevant dues, if any and where no claim for refund is received within two years of finally leaving the Institute, the caution money shall be credited into the Student Welfare Fund.
- (3) The fee concession and scholarships as may be determined by the Government.
- (4) The Board shall award Fellowships, Scholarships and Assistantships to students.
- (5) The Board shall decide the value, number and conditions of award.
- (6) In addition to the funds of the Institute for the above mentioned purposes, funds received from donations may also be utilised.

[F. No. I-11013/1/2020-ID-Part (1)]

MINHAJ ALAM, Addl. Secy.